



संख्या-16/2026/ए029-20262027-001-144(2038347)

प्रेषक,

राज कुमार झा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

2- उप सचिव एवं
आहरण एवं वितरण अधिकारी
खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा
उ0प्र0 शासन।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय(अधिप्राप्ति तथा पूर्ति) के अधीन धनराशि का आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा उप सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-सी0ए0 131 /29-1-2025(लेखा) दिनांक 12.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल खाद्यायुक्त कार्यालय, खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0, कोलकाता स्थित स्थानिक प्रतिनिधि कार्यालय, खाद्य तथा रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन के समस्त स्टाफ के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय के वहन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल प्राविधानित धनराशि ₹0 50822.50 लाख (पाँच अरब आठ करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र) (मतदेय) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए अधोलिखित विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

अनुदान सं0-21

लेखाशीर्षक-2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-

01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन

-03-अधिष्ठान व्यय(अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)

(धनराशि ₹0 लाख में)

मद संख्या व मानक मद का नाम	खाद्य आयुक्त, मुख्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों हेतु आवंटित धनराशि	शासन स्तर पर खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव शाखा उ0प्र0 शासन में कार्यरत स्टाफ हेतु आवंटित धनराशि	कुल योग (2+3)
1	2	3	4
1-वेतन	27000.00	1000.00	28000.00
02-मजदूरी	25.00	--	25.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

03-महंगाई भत्ता	17800.00	400.00	18200.00
04-यात्रा व्यय	27.00	3.00	30.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	29.60	0.40	30.00
06-अन्य भत्तें	105.00	15.00	120.00
07-मानदेय	5.00	3.00	8.00
08-कार्यालय व्यय	118.50	6.50	125.00
09-विद्युत देय	300.00	--	300.00
10-जलकर/जल प्रभार	40.00	--	40.00
11-लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	47.00	3.00	50.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	165.00	--	165.00
13-टेलीफोन पर व्यय	24.00	1.00	25.00
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	275.00	--	275.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	57.00	3.00	60.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	350.00	--	350.00
18-प्रकाशन	1.50	0.50	2.00
19-विज्ञापन विक्री और विख्यापन व्यय	15.00	--	15.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.50	--	0.50
23-गुप्त सेवा व्यय	1.00	--	1.00
29-अनुरक्षण	30.00	--	30.00
42-अन्य व्यय	80.50	.50	81.00
मतदेय		--	00.00
भारित	--		
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	19.00	1.00	20.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	4.00	2.00	6.00
46-कम्प्यूटर	397.00	3.00	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय			
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	46.00	4.00	50.00
49-चिकित्सा व्यय	570.00	30.00	600.00
51-वर्दी व्यय	3.00	--	3.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.00	--	01.00
55-मकान किराया भत्ता	1445.00	55.00	1500.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	310.00	--	310.00
योग मतदेय	धनराशि ₹0 49291.60 (धनराशि ₹0 चार अरब बानवे करोड इक्यानवे लाख, साठ हजार मात्र) (मतदेय)	1530.90 - (पन्द्रह करोड तीस लाख नब्बे हजार मात्र)	50822.50 (धनराशि ₹0 पाँच अरब आठ करोड बाइस लाख, पचास हजार मात्र) (मतदेय)

3- उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय। इस आवंटित धनराशि में से मुख्यालय के व्यय हेतु आवश्यक धनराशि रोककर शेष अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यकतानुसार धनराशि को तत्काल आवंटित कर दें तथा आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। जनपद स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी होने की दशा में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

4- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलो/मदों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- शासकीय स्तर पर मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माहवार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रतिमाह पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वीकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागारसे नहीं किया जायेगा। ताकि राज्यस्तर पर कैश फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

7- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0बी-1-1195/दस-16।94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8- विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय इसलिये विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवणकी नियमित व्यवस्था करेंगे, तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

9- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

10- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, उसमें स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या/मतदेय/भारित का उल्लेख अवश्य किया जाय।

11- बी0एम0-8 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

12- इस शासनादेश के अन्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2408010010300 (अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	01 वेतन	2,80,00,00,000 (रुपये दो अरब अस्सी करोड़ मात्र)
2	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	02 मजदूरी	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
3	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	03 मंहगाई भत्ता	1,82,00,00,000 (रुपये एक अरब बयासी करोड़ मात्र)
4	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	04 यात्रा व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
5	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	05 स्थानान्तरण यात्रा	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		पूर्ति)	व्यय	
6	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	06 अन्य भत्ते	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
7	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	07 मानदेय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
8	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	08 कार्यालय व्यय	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
9	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	09 विद्युत देय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
10	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	10 जलकर / जल प्रभार	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
11	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
12	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,65,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
13	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	13 टेलीफोन पर व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
14	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,75,00,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
15	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
16	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
17	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	18 प्रकाशन	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

18	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
19	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
20	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	23 गुप्त सेवा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
21	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
22	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	42 अन्य व्यय	81,00,000 (रुपये इक्यासी लाख मात्र)
23	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
24	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	45 अवकाश यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
25	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
26	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
27	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	49 चिकित्सा व्यय	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)
28	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	51 वर्दी व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
29	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
30	021	2408010010300	55	15,00,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	मकान किराया भत्ता	(रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र)
31	021	2408010010300 अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,10,00,000 (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र)
	कुल			5,08,22,50,000 (रुपये पाँच अरब आठ करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र)

महायोग	5,08,22,50,000 (रुपये पाँच अरब आठ करोड़ बाईस लाख पचास हजार मात्र)
--------	--

भवदीय

राज कुमार झा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ०प्र० शासन।
- 9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।